उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1

संख्या-1235/छःपु0से0-1-2019-622(05)/2019

लखनऊ : दिनांक :21 अगस्त,2019

कार्यालय ज्ञाप

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2015 के आधार पर श्री सागर सिंह पुत्र श्री पदम सिंह, आर-120, वकील कालोनी, सेक्टर-12, प्रताप बिहार, गाजियाबाद (उ0प्र0) पिन-201009 का पुलिस उपाधीक्षक पद पर चयन होने के फलस्वरुप गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या-1133/छःपु0से0-1-16-622(11)/2016 दिनांक 06.07.2016 द्वारा उनको नियुक्ति पत्र निर्गत कर, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, मुरादाबाद में योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु उनके द्वारा योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। योगदान प्रस्तुत न करने पर शासन के अनुस्मारक पत्र संख्या-1524(3)/छःपु0से0-1-16-622(11)/2016 दिनांक 07.10.2016 एवं अन्तिम अनुस्मारक पत्र संख्या-523(2)/छःपु0से0-1-18-622(11)/2016 दिनांक 17.03.2018 द्वारा पुनः पुलिस प्रशिक्षण अकादमी पर दिनांक 07.04.2018 तक पुलिस उपाधीक्षक पद पर योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु पुनः निर्देशित किया गया था, जिसके संदर्भ में उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 02.04.2018 में अवगत कराया गया कि उनकी पत्नी के बीमार होने व उनका उपचार चिकित्सक से कराया जा रहा है जिसमें कुछ समय लगना संभावित है तथा पत्नी के चल रहे उपचार उवं उनकी देखभाल करने तथा चयन वर्ष 2016 बैच के पुलिस उपाधीक्षकों के साथ ही योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने के अनुरोध के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1078(1)/छःपु0से0-1-18-622(11)/2016 दिनांक 04.06.2018 के माध्यम से चयन वर्ष 2016 बैच के चयनित पुलिस उपाधीक्षकों के साथ डा0 भीमराव पुलिस अकादमी मुरादाबाद में योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया गया था।

अतः इस सम्बन्ध में उनको निर्देशित किया जाता है कि चयन वर्ष 2016 बैच के पुलिस उपाधीक्षकों के साथ, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सूचित तिथि के अनुसार डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी मुरादाबाद में योगदान करना सुनिश्चित करेंगें। इसके उपरान्त उनके द्वारा उक्त अकादमी में प्रशिक्षण हेतु योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं की जाती है तो यह अवधारणा कर ली जायेगी कि पुलिस उपाधीक्षक पद पर वे कार्य करने के इच्छुक नहीं है और संगत नियमावली/शासनादेशों में विहित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में उन्हें अतिरिक्त समय प्रदान न करते हुए श्री सागर सिंह पुत्र श्री पदम सिंह का पुलिस उपाधीक्षक पद से अभ्यार्थन स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

श्री सागर सिंह
पुत्र श्री पदम सिंह,
आर-120, वकील कालोनी,
सेक्टर-12, प्रताप बिहार, गाजियाबाद।

संख्या- /छः पु0से0-1-2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2015 के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक पद पर चयनित श्री सागर सिंह पुत्र श्री

पदम सिंह को चयन वर्ष 2016 बैच के अभ्यार्थियों के साथ सूचित तिथि के अनुसार डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी मुरादाबाद में योगदान कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2) अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 को आदेश की तीन प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि की 01 प्रति श्री सागर सिंह पुत्र श्री पदम सिंह, आर-120, वकील कालोनी, सेक्टर-12, प्रताप बिहार, गाजियाबाद (उ0प्र0) पिन-201009 को तामील कराकर, तामीला प्रति पर प्राप्ति हस्ताक्षर व दिनांक सहित शासन को शीघ्र वापस करने का कष्ट करें।

(3) अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक डा0 भीमराव अम्बेडकर, उ0प्र0 पुलिस अकादमी, मुरादाबाद।

(4) गार्ड फाईल।

20.08.2019

आज्ञा से,

20.08.19

(फिरोज आलम)

अनु सचिव।